न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल के समक्ष

करतार सिंह और अन्य, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा का राज्य और अन्य, — *उत्तरदाता*

सिविल रिट याचिका सं. 3779 *सन्* 1985

जुलाई 10, 1986

पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का III) — धारा 3(18)(ख) — हरियाणा नगरपालिका अधिनियम (1973 का XXIV) — धारा 203 से 210 — पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम (1963 का XLI) — धारा 4(1)(ख)- नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र को 'अनिर्मित क्षेत्र' घोषित करने वाला पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 3(18)(ख) के तहत सरकारी आदेश — नगर निगम अधिकारी हरियाणा अधिनियम की धारा 203 द्वारा परिकल्पित एक नगर नियोजन योजना की तैयारी के लिए अनुरोध अग्रेषित कर रहे हैं —इसके बाद अनियमित विकास अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत उसी क्षेत्र को 'नियंत्रित क्षेत्र' के रूप में घोषित करते हुए सरकारी अधिसूचना जारी की गई — उपरोक्त अधिसूचना — क्या नगरपालिका सीमा के भीतर अनिर्मित क्षेत्र के संबंध में एक योजना तैयार करने से रोकती है — उपरोक्त धारा 203 के प्रावधान — क्या अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है — अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधान — यदि नगर नियोजन योजना तैयार करने के लिए घोषित 'अनिर्मित क्षेत्रों' में संचालित हों — यदि अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से बंधे हों। क्या नगरपालिका अधिनियम के तहत घोषित 'अनिर्मित क्षेत्रों' में संचालन किया जाता है — नगर नियोजन योजना तैयार करने की राज्य सरकार की शक्ति — क्या प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के अनुभाग द्वारा बाध्य है।

अभिनिर्णित, कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 के प्रावधान, नगर नियोजन योजना के कार्यान्वयन के दौरान हर संभावित घटना की कल्पना करते हैं। योजना में भवनों के निर्माण या पुनः निर्माण के लिए प्रावधान किया जाना है और सड़कों के किनारों पर भवन सीमा के नुस्खे के साथ-साथ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समिति को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि की मात्रा के लिए भी। सड़कों की मेटलिंग और फुटपाथों को पक्का करना, टर्फिंग और खुले स्थानों पर पेड़ों के साथ वृक्षारोपण, जल आपूर्ति आदि सहित आंतरिक सेवाओं का विवरण भी योजना में शामिल किया जाना है। हरियाणा अधिनियम की धारा 204 से 210 तक स्वीकृत योजना के उल्लंघन को दंडित करने, इसके प्रवर्तन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, विस्तृत योजनाओं की मंजूरी और ऐसी मंजूरी का नवीनीकरण, स्वीकृत योजनाओं में संशोधन के

विस्तृत प्रावधान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (जो तब हरियाणा में लागू था) की धारा 3(18)(बी) के तहत नगरपालिका सीमा के भीतर परिभाषित 'अनिर्मित क्षेत्रों' का उपयोग नियोजित योजनाओं और विकास के साथ लगातार निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।। पर दूसरी ओर, पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 की धारा 4(1)(बी) का उद्देश्य अनुसूचित सड़कों और हरियाणा राज्य के 'नियंत्रित क्षेत्रों' में बेतरतीब और घटिया विकास को रोकना है। इस प्रकार, धारा 4 का डोमेन एक शहर की सीमाओं के बाहर संचालित होगा। इस प्रकार, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कम से कम स्थानीय क्षेत्रों में जो 'नगर' के विवरण के अंतर्गत आते हैं और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम द्वारा शासित हैं, अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 द्वारा संचालित नहीं होगी। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के अर्थ में नियंत्रित क्षेत्र केवल वह क्षेत्र हो सकता है जो किसी शहर की सीमा के बाहरी तरफ है। इस प्रकार, हरियाणा अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से बिल्कुल भी असंगत नहीं हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधान दिसंबर के 'अनिर्मित क्षेत्र' में लागू नहीं होते हैं। नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाली राज्य सरकार के आदेश से चिंतित और उपरोक्त अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर नियोजन योजना को तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए नगरपालिका अधिनियम के तहत अधिकारियों की शक्तियां किसी भी तरह से अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से बाधित नहीं हैं।

(पैरा 5, 6 और 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई कि :—

(क) मामले में रिकॉर्ड भेजने के बाद, उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट द्वारा अभिखंडन आदेश, अनुबंध पी-2 और साथ ही अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत जारी अभिखंडन घोषणा में याचिकाकर्ता के क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया को अपास्त कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए;

(ख) वैकल्पिक रूप से प्रतिवादियों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत या 1963 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत प्रतिवादियों द्वारा सूचना की प्राप्ति से दो महीने के भीतर योजना बनाने के लिए एक परमादेश जारी किया जाए।

(ग) कोई अन्य आदेश, रिट या निर्देश जारी करना जो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जा सकता है;

(घ) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

वी. के. बाली, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए ।

पी. एस. दूहन, डी.ए.जी. (एच), उत्तरदाता के लिए ।

राजेश चौधरी, अधिवक्ता, उत्तरदाता संख्या 2 के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति, डी .वी. सहगल।

(1) यह निर्णय सीडब्ल्यूपी 1985 की संख्या 3779 और 1986 की 615 का निपटान करेगा क्योंकि दोनों में कानून और तथ्य का सामान्य प्रश्न शामिल है।

(2) तथ्य 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3779 से लिए जा रहे हैं। इसमें याचिकाकर्ता दारा कलां, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, जो क्षेत्र थानेसर नगर पालिका की सीमा के भीतर आता है। उनकी जमीन के चारों तरफ आवासीय और व्यवसायिक इमारतें बन चुकी हैं और उनकी जमीन पर आवासीय कॉलोनी बसाने का भारी दबाव है। इस प्रकार विचाराधीन भूमि को आवासीय और वाणिज्यिक परिसर के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है। 28 जनवरी, 1969 को पंजाब के राज्यपाल ने एक विशेष आदेश द्वारा Ex. पी. 2 ने पुष्टि की कि याचिकाकर्ताओं की भूमि सहित थानेसर नगर पालिका की सीमा के भीतर वर्णित क्षेत्र पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 3 की उप-धारा (18) के खंड (ख) के अर्थ के भीतर "अनिर्मित क्षेत्र" है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (इसके बाद इसे "नगरपालिका अधिनियम" कहा जाएगा) अब हरियाणा राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 निम्नानुसार प्रदान है:

"203. भवन योजना:

(1) समिति, और यदि उपायुक्त द्वारा आवश्यक हो, ऐसी मांग की तारीख से छह महीने के भीतर, निर्मित क्षेत्रों के लिए एक भवन योजना और अनिर्मित क्षेत्रों के लिए एक नगर नियोजन योजना तैयार करेगी, जो अन्य बातों के अलावा हो सकती है। निम्नलिखित मामलों का प्रावधान करता है, अर्थात्:

(क) पूरे नगर पालिका या उसके किसी भी हिस्से में इमारतों या इमारतों के किसी भी वर्ग के निर्माण या पुन: निर्माण पर प्रतिबंध, और उनके उपयोग पर प्रतिबंध;

(ख) मौजूदा या प्रस्तावित किसी भी सड़क के दोनों ओर या दोनों तरफ एक भवन सीमा का निर्धारण;

(ग) ऐसे अनिर्मित क्षेत्र में भूमि की राशि, जिसे भूमि के मालिकों द्वारा मुआवजे के भुगतान पर या अन्यथा सार्वजनिक सड़कों के रूप में उपयोग सहित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समिति को हस्तांतरित किया जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार हस्तांतरित कुल राशि चालीस प्रति से अधिक न हो सेंटम, और भुगतान के बिना हस्तांतरित राशि ऐसे अनिर्मित क्षेत्र के भीतर किसी एक मालिक की भूमि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(घ) पुनर्गठित भूखंड के आकार और आकार का निर्धारण ताकि इसे भवन निर्माण के लिए उपयुक्त बनाया जा सके और जहां भूखंड पर पहले से ही निर्माण किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भवन, जहां तक संभव हो, योजना के प्रावधानों का अनुपालन करता है खुले स्थानों के संबंध में;

(ड.) किसी मूल भूखंड की सीमाओं में परिवर्तन करके पुनर्गठित भूखंड का निर्माण;

(च) निकटवर्ती भूमि के पूर्णतया या आंशिक रूप से हस्तांतरण द्वारा पुनर्गठित भूखंड का निर्माण;

(छ) योजना को आगे बढ़ाते हुए भूमि से बेदखल किए गए किसी भी मालिक को भूखंड का आवंटन;

(ज) किसी भूखंड के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण; और

(झ) आंतरिक सेवाओं का विवरण, उन्हें प्रदान करने की अनुमानित लागत, लागत के मूल के लिए भवनों और भूमि के मालिकों की देनदारी की सीमा और उसके भुगतान का तरीका।

स्पष्टीकरण--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए:

(1) पुनर्गठित भूखंड का मतलब एक ऐसा भूखंड होगा जो स्वामित्व में बदल गया है या अन्यथा नगर नियोजन योजना के परिणामस्वरूप बदल गया है;

(2) आंतरिक सेवाओं का अर्थ होगा:

(i) सड़कों को पक्का करना और फुटपाथों को पक्का करना;

(ii) खुले स्थानों पर पेड़ों के साथ टर्फिंग और वृक्षारोपण;

(iii) स्ट्रीट लाइटिंग;

(iv) पर्याप्त और पौष्टिक जल-आपूर्ति;

(v) तूफान और गंदे पानी दोनों के लिए सीवर और नालियां और उनके उपचार और निपटान के लिए आवश्यक प्रावधान; और

(vi) कोई अन्य कार्य जो समिति योजना में शामिल क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझे।

(2) जब कोई योजना उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत तैयार की गई है, तो समिति ऐसी योजनाओं की सार्वजनिक सूचना देगी और साथ ही ऐसी सूचना की तारीख से कम से कम तीस दिन की तारीख सूचित करेगी जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति ऐसी योजना के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव लिखित में समिति को प्रस्तुत कर सकता है जिसे

वह बनाना चाहता हो।

(3) समिति योजना के संबंध में प्रत्येक आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगी जो उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत सूचित तिथि तक प्राप्त हो सकती है और ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव के परिणामस्वरूप योजना को संशोधित कर सकती है और फिर मूल रूप से तैयार की गई या संशोधित की गई ऐसी योजना को उपायुक्त को अग्रेषित करें, जो यदि उचित समझे तो उसे एक निर्दिष्ट तिथि तक पुनर्विचार और पुनः प्रस्तुत करने के लिए समिति को लौटा सकता है; और उपायुक्त अपनी राय के साथ, जैसा भी मामला हो, अग्रेषित या पुनः प्रस्तुत की गई योजनाओं को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी योजना को मंजूरी दे सकती है या इसे मंजूरी देने से इंकार कर सकती है, या इसे पुनर्विचार के लिए समिति को वापस कर सकती है और एक निर्दिष्ट तिथि तक पुनः प्रस्तुत करें।

(4) यदि कोई समिति उप-धारा (1) के तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक होने के छह महीने के भीतर एक योजना प्रस्तुत करने में विफल रहती है या उप-धारा (3) के तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर एक निर्दिष्ट तिथि तक किसी योजना को फिर से प्रस्तुत करने में विफल रहती है या किसी ऐसी योजना को पुनः प्रस्तुत करता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो उपायुक्त एक योजना बना सकता है जिसकी सार्वजनिक सूचना नगरपालिका के भीतर अधिसूचना और प्रकाशन द्वारा उस तारीख की सूचना के साथ दी जाएगी जब तक कोई भी व्यक्ति उसकी आपत्ति या सुझाव जो वह देना चाहता हो उपयुक्त को लिखित में आवेदन दे सकता है, और उपायुक्त अपनी राय के साथ ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा, और राज्य सरकार ऐसी योजना को मंजूरी दे सकती है जो मूल रूप से अधिसूचित या परिणामस्वरूप संशोधित हो ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव के बारे में, जैसा राज्य सरकार उचित समझे; और ऐसी योजना की लागत या लागत का ऐसा हिस्सा जो राज्य सरकार उचित समझे, नगरपालिका निधि से चुकाया जाएगा।

(5) किसी योजना को मंजूरी देते समय राज्य सरकार योजना की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट उपायुक्त या राज्य सरकार को प्रस्तुत करने और राज्य सरकार द्वारा योजना के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए शर्तें लगा सकती है।

(6) योजना स्वीकृत होने के बाद समिति यथाशीघ्र आंतरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेगी और इसकी प्रतिबंध की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर इसे पूरा करेगी।

(3) उपरोक्त धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में, नगरपालिका समिति, थानेसर,

प्रतिवादी संख्या 2 पर, अनिर्मित क्षेत्र के लिए एक नगर नियोजन योजना तैयार करने का दायित्व था, लेकिन यह कदम काफी लंबे समय तक नहीं उठाया गया था। याचिकाकर्ता कोई भी निर्माण गतिविधि नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी भूमि को 'गैर-निर्मित क्षेत्र' घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप उनकी निर्माण गतिविधि को ऐसी योजना द्वारा विनियमित किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी भूमि के लिए नगर नियोजन योजना तैयार करने के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने योजना तैयार करने के लिए सर्वेक्षण योजना और शजरा योजना आदि के साथ स्वामित्व विवरण जिला नगर, योजनाकार, कुरुक्षेत्र के कार्यालय को इस अनुरोध के साथ भेजा कि योजना क्षेत्र के लिए तैयार की जानी चाहिए। हालाँकि, जब मामला नगर नियोजन योजना को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य नगर नियोजक के पास लंबित था, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने पंजाब अनुसूचित, सड़क और नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास प्रतिबंध, अधिनियम, 1963 (इसके बाद इसे "अनुसूचित सड़क अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 4(1)(ख) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना, दिनांक 26 जून, 1980 जारी की, जिसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि सहित विचाराधीन क्षेत्र को "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया। अनुसूचित सड़क अधिनियम के तहत अधिसूचना के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के क्षेत्र के लिए नगर नियोजन योजना को अंतिम रूप देना रुक गया था। एक विवाद उत्पन्न हुआ "क्या क्षेत्र को नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 या अनुसूचित सड़क अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाना है, इसका उल्लेख जिला नगर योजनाकार, कुरुक्षेत्र के पत्र दिनांक 8 नवंबर 1982 के अनुबंध पी. 4 में किया गया है। मुख्य नगर योजनाकार को कानूनी अनुस्मारक ने राय दी थी कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के तहत नगर निर्माण योजना नगरपालिका सीमा के भीतर एक अनिर्मित क्षेत्र के संबंध में है जिसे अनुसूची सड़क अधिनियम की धारा 4 के तहत नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, को तैयार और अंतिम रूप नहीं दिया गया। गतिरोध का हल करने के लिए जिला नगर योजनाकार के पत्र अनुबंध पी. 4 और उसके बाद 22 अगस्त, 1983 के अनुबंध पी. 3 के बावजूद, उत्तरदाताओं द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सोलह वर्षों से याचिकाकर्ता उस भूमि का उपयोग नहीं कर पाए हैं, जिसमें भवन निर्माण की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए लिखित याचिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र को गैर-निर्मित घोषित करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 अनुलग्नक पी. 2 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट की मांग की है। क्षेत्र के साथ-साथ उसी क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की सरकार की घोषणा को रद्द करने के लिए या वैकल्पिक रूप से उन्होंने नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत एक नगर नियोजन योजना तैयार करने के लिए और अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत योजना बनाने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश जारी करने की मांग की है ।

(4) हालाकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 की ओर से जिला नगर योजनाकार, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक अलग लिखित बयान दायर किया गया है। तथ्यात्मक स्थिति जैसा कि दिया गया है रिट याचिका पर विवाद नहीं

किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने लिखित बयान में शहर और देश योजना को अंतिम रूप देने की उत्सुकता दिखाई है ताकि "अनिर्मित क्षेत्र" को विकसित किया जा सके, लेकिन कहा है कि हरियाणा का शहर और देश योजना विभाग धारा 203 के तहत कोई योजना तैयार नहीं कर रहा है। नगरपालिका अधिनियम के इस आधार पर कि विचाराधीन क्षेत्र को अनुसूचित सड़क अधिनियम के तहत "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित सड़क अधिनियम के तहत प्रश्न में क्षेत्र को "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किए जाने के बाद, नगरपालिका अधिनियम के तहत एक नगर नियोजन योजना तैयार नहीं की जा सकती है। यह तर्क दिया गया है कि अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुरूप एक योजना राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है और यदि याचिकाकर्ता निर्माण गतिविधि के लिए अपनी भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय, हरियाणा की अनुमति के लिए आवेदन देना चाहिए।

(5) मैंने दोनों पक्षों के विद्वक अधिवक्ता को सुना है और इसमें शामिल विवाद पर विचारपूर्वक विचार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रासंगिक क़ानूनों के प्रावधानों के कुछ गलत निर्माण के कारण, विचाराधीन क्षेत्र का विकास अपरिहार्य रूप से अवरुद्ध हो गया है। मैंने नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों को विस्तार से ऊपर प्रस्तुत किया है ताकि यह सामने आ सके कि नगर नियोजन योजना के कार्यान्वयन के दौरान हर संभावित घटना को पूरा किया गया है। योजना में प्रावधान न केवल इमारतों के निर्माण या पुन: निर्माण और सड़कों के किनारों पर भवन सीमा के निर्धारण के लिए किया जाना है, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे की सार्वजनिक सड़कों और खुले स्थानों आदि के रूप में उपयोग के लिए समिति को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि की मात्रा के लिए भी किया जाना है। सड़कों को पक्का करने और फुटपाथों को पक्का करने सहित आंतरिक सेवाओं का विवरण; खुले स्थानों पर पेड़ों के साथ टर्फिंग और वृक्षारोपण, सड़क प्रकाश व्यवस्था; योजना में पर्याप्त और संपूर्ण जल आपूर्ति, तूफान और गंदे पानी के लिए सीवर और नालियां और उनके उपचार और निपटान के प्रावधान को भी शामिल किया जाना है। समिति योजना को तैयार करने और अंतिम रूप देने और उसे मंजूरी दिलाने के लिए बाध्य है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो उपायुक्त योजना तैयार कर सकता है, आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए इसे अधिसूचित कर सकता है और राज्य सरकार से इसकी मंजूरी सुरक्षित कर सकता है और नगरपालिका समिति को निर्देश दे सकता है। इसे कार्यान्वित करने के साथ-साथ आंतरिक सेवाएं भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने और इसकी मंजूरी की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर इसे पूरा करने को कहा गया है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 204 से 210 में स्वीकृत योजना के उल्लंघन में भवनों के निर्माण या अस्वीकृति के लिए दंड, इसके प्रवर्तन में बाधाओं को हटाने, विस्तृत योजनाओं की मंजूरी और ऐसी मंजूरी के नवीनीकरण, स्वीकृत योजनाओं में संशोधन, दंड के विस्तृत प्रावधान हैं। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में अवज्ञा के लिए, भवनों के निर्माण को रोकना और इस संबंध में नगरपालिका समिति के निर्देशों का

पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना। इन प्रावधानों का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि नगरपालिका सीमा के भीतर अनिर्मित क्षेत्रों का उपयोग नियोजित योजनाओं के अनुरूप निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए और अस्वच्छ स्थितियों के साथ झुग्गी-झोपड़ियों जैसे बेतरतीब निर्माणों की जाँच की जानी चाहिए।

(6) दूसरी ओर, अनुसूचित सड़क अधिनियम का उद्देश्य हरियाणा राज्य में अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों में बेतरतीब और घटिया विकास को रोकना है। इस अधिनियम के प्रावधान बिल्कुल अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित सड़कों पर अनियमित विकास को प्रतिबंधित करना और नियंत्रित क्षेत्रों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम की धारा 4 सरकार को अधिसूचना द्वारा घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है किसी भी क्षेत्र या उसके निकटवर्ती किसी भी हिस्से को और जो इस दूरी पर हो --

(क) किसी शहर की सीमा के बाहरी किनारों पर आठ किलोमीटर, या

(ख) किसी औद्योगिक या आवास संपत्ति, सार्वजनिक संस्थान या किसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक की सीमा के बाहरी किनारों पर दो किलोमीटर,

इस अधिसूचना में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक नियंत्रित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार, धारा 4 का क्षेत्र एक शहर की सीमाओं के बाहर संचालित होगा। निःसंदेह, इस अधिनियम में "नगर" को परिभाषित नहीं किया गया है। वेबस्टर के न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी में दिए गए "शहर" का अर्थ "घरों और निजी और सार्वजनिक भवनों का एक कमोबेश केंद्रित समूह है, जो गांव से बड़ा है लेकिन शहर से छोटा है।" हरियाणा राज्य में इस विवरण के कस्बों का गठन करने वाले अधिकांश स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कम से कम स्थानीय क्षेत्रों में जो "शहर" के विवरण में आते हैं और नगरपालिका अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 लागू नहीं होगी। इस अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के अर्थ में नियंत्रित क्षेत्र केवल वही क्षेत्र हो सकता है जो किसी कस्बे की सीमा के बाहरी तरफ हो। इसके अलावा, अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 में नियंत्रित क्षेत्र को दर्शाने वाली योजना तैयार करने और उसमें लागू होने वाले प्रस्तावित प्रतिबंधों और शर्तों को दर्शाने का प्रावधान है। ऐसी योजनाएं किसी भी इमारत के निर्माण या पुनः निर्माण के लिए किसी भी साइट को भूखंडों में विभाजित करने का प्रावधान करती हैं; सड़कों, खुले स्थानों आदि के लिए भूमि का आवंटन या आरक्षण; किसी स्थल का शहरशिप या कॉलोनी में विकास; किसी भी स्थल पर भवनों का संरेखण; इमारतों की ऊंचाई या अग्रभाग की वास्तुशिल्प विशेषताएं; किसी साइट या भवन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं; दुकानों, कार्यशालाओं आदि के निर्माण या पुनः निर्माण के संबंध में निषेध या प्रतिबंध। उपरोक्त धारा 5 के प्रावधानों का उद्देश्य नियंत्रित क्षेत्र में उसी उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसे नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 किसी शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर हासिल करना चाहती है। इस प्रकार, नगरपालिका

अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से बिल्कुल भी असंगत नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 के विद्वक अधिवक्ता का यह तर्क कि अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के मद्देनजर, यह नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों से आगे निकल जाता है, सही नहीं है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 23(2) में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का प्रभाव किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत चीज़ से नहीं होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, इसलिए, लागू रहेंगे। इस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमति इस तथ्य के बावजूद आवश्यक है कि ऐसे अन्य कानून के तहत अनुमोदन या मंजूरी की अनुमति आवश्यक है। ऐसा कार्य करने या ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे किसी भी अन्य कानून के शब्द उसकी उपधारा (2) से रंग लेते हैं, अर्थात, कोई अन्य कानून जो अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है। मामला तब और स्पष्ट हो जाता है जब इस अधिनियम की धारा 24 पर विचार किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह बताती है कि इस अधिनियम में कुछ भी सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की भूमि अधिग्रहण करने या उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा और किसी अन्य लागू कानून के तहत नियंत्रित क्षेत्र में शामिल भूमि का विकास।

(7) उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, यह स्पष्ट है कि थानेसर शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले हरियाणा के राज्यपाल अनुबंध पी. 2 के आदेश द्वारा घोषित अनिर्मित क्षेत्र में अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, और जिस अनिर्मित क्षेत्र में याचिकाकर्ताओं की भूमि स्थित है, उसके लिए नगर नियोजन योजना तैयार करने और अंतिम रूप देने की नगरपालिका समिति, उपायुक्त और राज्य सरकार की शक्तियां किसी भी तरह से अनुसूचित सड़क अधिनियम से बाधित नहीं हैं। नगर नियोजन योजना को अंतिम रूप देते समय सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखने में कोई संदेह नहीं है कि ऐसी नगर नियोजन योजना किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं करती है जो राज्य में अनुसूचित सड़कों के उचित रखरखाव, विस्तार और आगे के विकास का प्रावधान करती है।

(8) फलस्वरूप, मैं इन याचिकाओं को अनुज्ञात करता हूं और परमादेश रिट जारी करता हूं और प्रतिवादियों को निर्देश देता हूं कि वे नगर निगम अधिनियम की धारा 203 के तहत नगर नियोजन योजना को तत्काल कार्यान्वयन के लिए तैयार करें, जो आदेश अनुबंध पी 2 के तहत घोषित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की भूमि स्थित है; उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए उसे अधिसूचित करना; ऐसी आपत्तियों का निपटारा करना और आज से छह महीने के भीतर योजना को अंतिम रूप देना।

(9) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा